सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1774/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रामकूंरी उर्फ रामकंवर पुत्री जगदीश जाति साधू निवासी सलारी तहसील केकड़ी

वादीया

बनाम

1. सोहनी पत्नि रामनिवास
2. रामपाल पुत्र रामनिवास
3. पोखर पुत्र रामनिवास
4. दुर्गा पुत्री रामनिवास
5. जोध्या पुत्री रामनिवास
6. छोटी पुत्री रामनिवास
7. सत्यनारायण पुत्र मनीराम
8. छोटू पुत्र कल्याणदास
9. रामदयाल पुत्र रामस्वरूप
10. गोपालदास पुत्र गोकल दास
11. सीतारामदास पुत्र गोकलदास
    समस्त जाति साधु (बेरागी) निवासी सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
12. तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–30.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सलारी में पेश हुई। वादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 488 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 524,528/2429, 621, 622, 633, 634, 635, 753, 766, 767, 769, 770, 771, 774, 775, 776, 797, 798, 807, 807/2392, 811, 813, 814, 815, 816, 863, 864, 877, 879, 880, 881, 882, 1080, 1082, 1087, 1088, 1089, 1124, 1125, 1126, 1127, 1148, 1167, 1168, 1171, 1192 किता 46 कुल रकबा 10.62 हैक्ट भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 का 4/5 हिस्सा है तथा खाता संख्या 489 खसरा नम्बर 1084, 1146, 1169 किता 3 कुल रकबा 0.23 हैक्ट भूमि में वादीया का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी 1 लगायत 9 का 4/10 हिस्सा व प्रतिवादी 10, 11 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं अपने–अपने हिस्से पर फसल प्राप्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में वादीया व प्रतिवादी 1 लगायत 11 के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीया के हिस्से में सीमा विवाद करते है एवं कृषि आराजीयात की बुआई, जुताई करते समय विवाद करते है एवं फसलो को नुकसान पंहुचाते है जिसके कारण वादीया द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी संख्या 7, 8 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री मिठूसिंह ने पावर पेश किया। प्रतिवादीगण को तलबी हेतु कई मौके दिये गये।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का वाद प्राईमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम वाके ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 488 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 524, 528/2429, 621, 622, 633, 634, 635, 753, 766, 767, 769, 770, 771, 774, 775, 776, 797, 798, 807, 807/2392, 811, 813, 814, 815, 816, 863, 864, 877, 879, 880, 881, 882, 1080, 1082, 1087, 1088, 1089, 1124, 1125, 1126, 1127, 1148, 1167, 1168, 1171, 1192 किता 46 कुल रकबा 10.62 हैक्ट तथा खाता संख्या 489 खसरा नम्बर 1084, 1146, 1169 किता 3 कुल रकबा 0.23 हैक्ट भूमि का मुताबिक रिकॉर्ड व मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक रिकॉर्ड व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी